

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938

No. 01]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

सं. 12(01)/2014/रक्षा(पेंशन/नीति)/भाग-II.—भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 14.12.2015 की अधिसूचना सं.12(01)/2014/रक्षा(पेंशन/नीति)/भाग-II के पैरा 3 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा:

"समिति अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यदि आवश्यक हो तो, यह उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मामलों में से किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

के. दमयंती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Ex-Servicemen Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2016

No. 12(01)/2014/D(Pen/Pol)/Part-II.—The Govt. of India have decided that the Para 3 of this Ministry's Notification No. 12(01)/2014/D(Pen/Pol)/Part-II dated 14.12.2015 shall be modified as under:

"The Committee shall make its recommendations within one year of the date of its constitution. It may, if necessary, make interim reports on any of the matters mentioned in Para 2 above."

K. DAMAYANTHI, Jt. Secy.